/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 25, 1944
शुक्रवारः 16 दिसंबर 2022

स्वदेशी रक्षा उत्पाद का मूल्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य क्रमशः 84,643 करोड़ रु. और 94,846 करोड़ रु. है।

रक्षा मंत्रालय रोजगार सृजन से संबंधित आकंड़े नहीं रखता है।

आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने और 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने देश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसी), एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापना की है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी को विकसित करने के लिए 06 (छह) नोड्स अर्थात आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ को चिन्हित किया गया है । इसी प्रकार तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे (टीएनडीआईसी) को विकसित करने के लिए 5 नोड्स अर्थात चैन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सालेम और तिरुचिरापल्ली को चिन्हित किया गया है। सरकार का विचार है कि देश में उत्पादन को बढ़ावा देने और इकोनामी आफ स्केल के सृजन एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक उपक्रमों को विकसित करने की सुविधा के लिए परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु आपूर्ति श्रृंखला सहित अनुकूल परिस्थितियों से युक्त रक्षा विनिर्माण पारिप्रणाली विकसित की जाए।

यूपीडीआईसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उद्योगों/संगठनों के साथ 105 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनसे 12,139 करोड़ रु. के निवेश की संभावना है। यूपीडीआईसी में पहले ही 2,422 करोड़ रु. का निवेश किया जा चुका है। यूपीडीआईसी के विकास के लिए 1,608 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके अलावा, टीएनडीआईसी के लिए तमिलनाडु से सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 53 उद्योगों द्वारा 11,794 करोड़ रु. की निवेश की संभावना के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से व्यवस्था की गई है। टीएनडीआईसी में 3,847 करोड़ रु. का निवेश पहले ही हो चुका है। टीएनडीआईसी के विकास केवल कुल 910 हैक्टेयर भूमि को अधिग्रहित किया जा चुका है।

तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड से सात नए डीपीएसयू तैयार किए गए हैं जिन्हें अक्टूबर, 2021 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सरकारी कंपनियों (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में) के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने इन नई रक्षा कंपनियों को कार्पोरेट संस्थाओं के रूप में अपना कारोबार शुरू करने में आरंभिक सहायता और समर्थन देने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में तत्कालीन ओएफबी के साथ बकाया इन्डेंट्स को शामिल किया गया था और इन्हें अगले पांच वर्षों के लिए 70,776 करोड़ रु. मूल्य की संविदाओं के रूप में माना गया है। इन संविदाओं में उत्पादों के आपूर्ति के लिए वार्षिक लक्ष्य प्रदान किए गए हैं । प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के लक्ष्य से संबंधित 60% धनराशि इन संविदाओं में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार नए डीपीएसयू को अग्रिम के रूप में सेनाओं द्वारा भुगतान की जाएगी। इन अग्रिमों में नवगठित डीपीएसयू के लिए कार्यकारी पूंजी का प्रावधान है। अधिक कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता के साथ ये नए डीपीएसयू रक्षा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के लिए निर्यात सहित अपना ग्राहक आधार विस्तृत करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। ये डीपीएसयू विदेश में विभिन्न भारतीय दूतावासों और मिशनों में रक्षा अताशे के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से निर्यात अवसरों को बढ़ा रहे हैं।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **प्रो. रीता बहुगुणा जोशी व अन्य** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोकसभा सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस

/लोक सभा/

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 25, 1944
शुक्रवारः 16 दिसंबर 2022

रक्षा उपकरणों का आयात-निर्यात

स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का वर्ष 2020 और 2021 के लिए सैन्य व्यय निम्नवत है:-

(वर्तमान यूएस डालर मिलियन में)

2020	2021	वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में वृद्धि
72,937.10	76,598.00	3660.90 (5.02%)

वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में रक्षा व्यय में वृद्धि सेना द्वारा अनुमानित निधियों की आवश्यकता और सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता के कारण है।

गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा उपस्करों के आयात और निर्यात के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

प्रमुख निर्यात : तटीय निगरानी प्रणाली, कम भार वाले टोरपीडो, डीओ-228 विमान, एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रेक्टर, वैपन लोकेटिंग रडार, त्वरित गश्ती जलपोत (एफपीवी) 'एससीजीएस जोरोएस्टर' उपस्कर 120 मि.मी. मोर्टर बंब 120 मि.मी. एचई, मोटर ग्रेडर बीजी 605 आई एवं बुलडोजर 65-1 तथा स्पेयर्स, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, कवचित सुरक्षा वाहन, डीजल 6x6 बेस वाहन, सुरंग सुरक्षित एम्बुलेंस वाहन, उच्च गति सुरक्षा नौका, कवचित हल्के विशिष्ट वाहन (संख्या-6), सुरंग सुरक्षित वाहन राइट हैंड ड्राइव 4x4, 7.62x51 मि.मी. स्नाइपर राइफल एवं 0.338 लापुआ मैग्नम स्नाइपर राइफल, सिमुलेटर इत्यादि।

प्रमुख आयात : जैमर, रडार, डोपलर रडार, टीएचईएमआईएस यूजीवी, लायटरिंग म्युनिशंस सिस्टम, यूएवी, नाइट विजन इमेजिंग सिस्टम, कवचित वाहन, एयरपोर्ट निगरानी रडार (एएसआर), क्लोज इन वैपन सिस्टम, सी-ब्लाक-जैमिंग सिस्टम, 7.62x51 मि.मी. आर्सेनल मशीन गन, भू-सहायता मिसाइल परीक्षण उपस्कर इत्यादि।

रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी), रक्षा मंत्रालय डीजीएफटी द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत 69 आईटीसी (एचएस) के तहत सम्मिलित की गई मदों के आयात हेतु कंपनियों को आयात लाइसेंस प्रदान करता है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री दिव्येन्दु अधिकारी** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस

/लोक सभा/

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 25, 1944
शुक्रवारः 16 दिसंबर 2022

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों की संख्या

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड़ (एचएएल) में दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों (अ.जा./अ.ज.जा. सहित) की श्रेणीवार संख्या अनुसूचित जाति-4,404, अनुसूचित जनजाति - 1,806, अन्य पिछड़ा वर्ग-6,843 और सामान्य 11,734 है ।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड़ (एचएएल) में विगत तीन वर्षों, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान त्यागपत्र देने वाले / अपनी नौकरी छोड़ने वाले अधिकारियों की संख्या क्रमशः 60,39,51 है ।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड़ (एचएएल) में अधिकारियों के पलायन का कारण करियर ग्रोथ, उच्च अध्ययन पूरा करना और अन्य व्यक्तिगत कारण हैं ।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने कंपनी की प्रतिभा को बनाए रखने तथा कार्यनिष्पादन को और बेहतर बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड़ ने वर्ष 2020-21 के दौरान आईआईटी मद्रास में ऑनलाइन एम.टेक कार्यक्रम (20 अधिकारी प्रतिवर्ष) पूरा करने के लिए स्पोंसरशिप स्कीम शुरू की है ।

(ii) वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा एचएएल सैबेटिकल स्कीम शुरू की गई थी जिससे कार्यकारियों को विभिन्न व्यक्तिगत हितों को पूरा करने और परिवार संबंधी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 2 वर्ष की अवधि तक सैबेटिकल के रूप में छुट्टी लेने का अवसर मिलता है ।

(iii) कंपनी के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उच्च अध्ययन, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, निष्पादन सम्बद्ध वेतन और मेरिट आधारित पदोन्नति इत्यादि के लिए स्पोंसरशिप भी उपलब्ध कराई जा रही है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 25, 1944
शुक्रवारः 16 दिसंबर 2022

पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल

सरकार ने सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्य सरकार के स्कूलों के साथ भागीदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की पहल को अनुमोदन दिया है। उन नए सैनिक स्कूलों जिनके साथ सैनिक स्कूल सोसाइटी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, के जिले-वार ब्यौरे सहित राज्य/संघ राज्यवार सूची **अनुबंध 'क'** में दी गई है।

यद्यपि इस पहल में सभी आवश्यक अवसंरचना, फैकल्टी सृजन और एंटिटी (राज्य सरकार/निजी क्षेत्र/ ट्रस्ट/सोसाइटी/एनजीओ) द्वारा भागीदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों की स्थापना और संचालन के लिए निर्धारित अन्य आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है तथापि इसके लिए भारत सरकार द्वारा व्यय किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि अनुमोदित स्कूल के लिए कक्षा के छात्रों की संख्या (बशर्ते कि प्रतिवर्ष 50 छात्र की ऊपरी सीमा से अधिक न हो) के 50% तक के लिए 50% तक शुल्क सहायता (बशर्ते कि प्रतिवर्ष प्रति छात्र 40,000/- रू. की ऊपरी सीमा से अधिक न हो) गुण-दोष के आधार पर वार्षिक सहायता सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। जहां तक भागीदारी मोड पर नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए मानदंड का संबंध है, इसके लिए निर्धारित अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करने, अनुमोदित उपनियमों के अनुपालन और सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के आधार पर अनुमोदन के अध्यधीन है।

अनुबंध-क

'पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल' के बारे में उल्लिखित अनुबंध

नए सैनिक स्कूलों (भागदारी मोड पर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिला	भागीदारी मोड पर नए सैनिक स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	एसपीएसआर नैल्लोर	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	तवांग	1
3.	बिहार	समस्तीपुर	2
		पटना	
4.	दादर और नगर हवेली	सिलवासा	1
5.	गुजरात	जूनागढ़	2
		मेहसाणा	
6.	हरियाणा	फतेहाबाद	2
		रोहतक	
7.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	1
8.	कर्नाटक	बेलागावी	2
		मैसूरू	
9.	केरल	कोझिकोड	1
10.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	1
11.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	2
		सांगली	
12.	पंजाब	पटियाला	1
13.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	1
	कुल		18

****

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री देवजी पटेल एवं अन्य** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस

/लोक सभा/

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 25, 1944
शुक्रवारः 16 दिसंबर 2022

स्वदेश में विकसित रक्षा उपकरणों का विपणन

अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा उपस्करों के विपणन को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) श्रेणी 6 (आयुध सूची) में विनिर्दिष्ट मदों का निर्यात रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा मानक प्रचालन प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार करना सुगम बनाने के लिए एसओपी को समय-समय पर सुप्रवाही और सरल बनाया गया है।

(ii) निर्यात प्राधिकार की मंजूरी के लिए आवेदन प्राप्त करने और इनकी प्रोसेसिंग के लिए defenceexim.gov.in नामक एक एण्ड- टू – एण्ड पोर्टल का विकास किया गया है। निर्यात प्राधिकारों पर डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किए जाते हैं और इन्हें पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है।

(iii) रक्षा मत्रालय ने 3 ओजीईएल (खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस) शुरू किए हैं; पहला चयनित कलपुर्जों एवं संघटकों के लिए, दूसरा अंतर-कंपनी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए और तीसरा प्रमुख प्लेटफार्मों के लिए है।

(iv) विभिन्न देशों से प्राप्त प्रश्नों सहित निर्यात से संबंधित कार्रवाई के बारे में समन्वय करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए तथा निर्यात संवर्धन के लिए निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सहायता के लिए रक्षा मंत्रालय में एक निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ बनाया गया है।

(v) सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए रक्षा अताशों को अधिदेशित किया गया है। स्वदेशी रूप से विनिर्मित उपस्करों के निर्यात संवर्धन के लिए एक योजना विद्यमान है जिसमें स्वदेशी रक्षा उपस्करों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अताशों की वार्षिक आवश्यकता के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(vi) घरेलू विनिर्मित रक्षा उत्पादों को लाइन आफ क्रेडिट / वित्तपोषण के जरिए सामरिक दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(vii) विभिन्न हितधारकों से प्राप्त होने वाली निर्यात संबंधी जानकारी को पंजीकृत भारतीय रक्षा निर्यातकों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रेषित किया जाता है। इस सुविधा से भारतीय रक्षा निर्यातों को अन्य देशों में उत्पन्न होने वाले निर्यात के अवसरों पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने में सहायता मिलती है।

(viii) सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के स्वदेशी रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए "भारतीय रक्षा उद्योग' एक वैश्विक पहुंच" और "कैटलॉग भारतीय रक्षा उद्योग 2022" नामक दो निर्यात पुस्तिकाएं मार्च, 2022 में जारी की गई हैं।

(ix) रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग संघों के माध्यम से रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में मित्र देशों (एफएफसी) के साथ वेबिनारों का आयोजन किया जाता है। अब तक ऐसे कुल 33 वेबिनारों का आयोजन किया गया है।

(x) भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमताओं को समझने और उनकी रूचि के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए "रक्षा निर्यातकों से वार्ता करने हेतु भारत के दौरे पर आने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडलों (सरकार और सेनाओं दोनों से) की सहायता" के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है।

आइडेक्स – डीआईओ (रक्षा नवाचार संगठन) ने रक्षा नवाचार में सहयोग बढ़ाने तथा नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रों में अधिक सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कदम उठाने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम (यूके), आस्ट्रेलिया एवं स्वीडन के साथ आशय ज्ञापन (एमओआई) साझा किया है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री विष्णु दयाल राम** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 25, 1944
शुक्रवारः 16 दिसंबर 2022

सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास

रक्षा मंत्रालय ने एक पंचवर्षीय दीर्घकालिक रॉल ओवर कार्य योजना (एलटीआरओडब्ल्यूपी) के आधार पर सेना द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सौंपा है। गत पांच वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा बनायी गई सड़कों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	सड़कों की संख्या	लम्बाई (किलोमीटर)
1	अरुणाचल प्रदेश	64	3097.15
2	मिजोरम	8	589.63
3	मणिपुर	8	492.25
4	नागालैंड	2	251.25
5	सिक्किम	18	663.535
6	पश्चिम बंगाल	03	64.20
7	उत्तराखंड	22	947.21
8	हिमाचल प्रदेश	08	739.315
9	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	43	3140.535
10	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	61	2381.963
11	अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	01	23.94
12	राजस्थान	13	884.309
13	पंजाब	06	250.13
कुल		**257**	13525.417

इसके अलावा, भारत सरकार 16 राज्यों और 02 संघ राज्य क्षेत्रों के 117 सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली रिहाइश से 0-10 कि.मी. के अंदर स्थित रिहाइशों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का क्रियान्वयन कर रही है । बीएडीपी का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के निकट स्थित सुदूर एवं अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकास संबंधी

आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी भलाई के लिए तथा बीएडीपी/अन्य केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय योजनाओं को मिलाकर सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना है । गत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2,975.22 करोड़ रु. जारी किए गए हैं ।

28 अक्टूबर, 2022 को शुरू की गई 75 नई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की सूची अनुबंध-I पर संलग्न है ।

इनमें से एक परियोजना 'कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट' लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के हानले में स्थित है जिसका निर्मित क्षेत्र 9528 वर्ग फीट है । इस पूरे कॉम्प्लेक्स को नवीकरणीय सौर एवं पवन ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा जिससे 24 घंटे पावर पैकों की चार्जिंग सुनिश्चित होगी । इस हैबिटेट में पानी के पाइपों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित उपयुक्त एंटी-फ्रीज उपाए भी किए गए हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के बारे में उल्लिखित अनुबंध

28 अक्टूबर, 2022 को शुरू की गई अवसंरचनात्मक परियोजनाएं

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	वर्गीकरण	राज्य
1.	**सड़कें**			
1	श्रीमोहनगढ़ हदा ब्रिज (0-30 कि.मी)	30	एनएचडीएल	राजस्थान
2	शेत्रवा-बनियान-संकारा-देवीकोट (100-118 कि.मी.)	18	एनएचडीएल	राजस्थान
3	बारमर-चोहटन-केलनोर (8.15 -72.5 कि.मी)	64.35	एनएचडीएल	राजस्थान
4	रनौतर-प्वाइंट 141 (0-26.725 कि.मी.)	26.725	एनएचडीएल	राजस्थान
5	मोटालाई- खियाना (0-22.25 कि.मी.)	22.25	एनएचडीएल	राजस्थान
6	श्रीमोहनगढ़ हदा ब्रिज (30-61 कि.मी)	31	एनएचडीएल	राजस्थान
7	सबुना और मैज्जम डीसीबी पर सड़क (0-31.7 कि.मी)	31.7	सीएल-9	पंजाब
8	पौनी-कलाकोट-राजौरी (0-96.53 कि.मी.)	96.53	एनएचडीएल	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
9	राजौरी-कांडी-बुढल (0-54.5 कि.मी.)	54.5	एनएचडीएल	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
10	खेत-सौजियान (0-5.4 कि.मी)	5.4	सीएल-9	जम्मू एवं कश्मीर

				संघ राज्य क्षेत्र
11	सतवरी-मंडल-मकवाल (0-13.165 कि.मी.)	13.165	एनएचडीएल	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
12	ऊरी-सांतरा-माइक (0-19.95 कि.मी.)	19.95	सीएल-9 (एसबीए)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
13	नंद सिंह-रूस्तम-यूके (0-25.10 कि.मी.)	25.1	सीएल-9	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
14	हाजिबल-जमींदार गली-मच्छल (0-33.93 कि.मी.)	33.93	सीएल9 (एसबीए)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
15	कारगिल-योमा (0-22.525 कि.मी.)	22.525	सीएल-9 (ई)	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
16	हानले-फोटाइल (0- 55.5 कि.मी.)	55.5	सीएल-9	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
17	इसरो लिंक रोड (0-2.15 कि.मी.)	2.15	एनएचएसएल	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
18	लुकुंग-फागरंग (0-16.505 कि.मी.)	16.505	एनएचएसएल	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
19	फोबरंग-मरसीमिकला (0-43 कि.मी.)	43	सीआई-9	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
20	मरसीमिकला-हाट स्प्रिंग (43-76 कि.मी.)	33	सीआई-9	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
21	उपसी-सारचू (222-233 कि.मी.)	11	एनएचडीएल	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
22	उपसी-सारचू (233-244 कि.मी.)	11	एनएचडीएल	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
23	डमडीम-अलगढ़ (0-71 कि.मी.)	71	एनएचडीएल	पश्चिम बंगाल
24	बुमला-बुमला पीपी (0-3.77 कि.मी.)	3.77	सीआई-9 (ई)	अरुणाचल प्रदेश
25	त्वांग-पीटीएसओ-वाई जंक्शन (0-21 कि.मी)	21.1	सीआई-9	अरुणाचल प्रदेश
26	वाई जंक्शन-क्लीमता (0-4.25 कि.मी.)	4.25	सीआई-9 (ई)	अरुणाचल प्रदेश
27	क्लीमता-बुमलो (0-5 कि.मी.)	5	सीआई-9 (ई)	अरुणाचल प्रदेश

ख. पुल						
क्र.सं.	**पुल का नाम**	**स्थान**	**चौड़ाई**	**प्रकार**	**सड़क का नाम**	**राज्य/संघ**

		(किमी)	(मी.)			राज्य
28	बाग-II नाला	17.59	120.8	मल्टी सेल बाक्स ब्रिज	चडवाल-संजीमोर-हरियाचक-पहाड़पुर	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
29	बंचक नाला	28.8	250	पीएससी बाक्स गिरडर	परोल-कोरेपन्नू-राजपुरा	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
30	सुकतो	0.55	60	पीएससी बाक्स गिरडर	गंभीर-चंबा एफडीएल 640	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
31	जनत्रिया	16.7	21	आरसीसी टी -बीम	डोमेल-जिंदरा-खरता	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
32	कोनियाली-I	18.57	21	आरसीसी टी बीम	डोमेल-जिंदरा-खरता	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
33	कोनियाली-II	19.9	21	आरसीसी टी बीम	डोमेल-जिंदरा-खरता	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
34	चेनाब बडी नाला	4.5	30.2	मल्टी सेल बाक्स ब्रिज	दयालचक-रामकोट	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
35	जितरे नाला	11.35	40	पीएससी बाक्स गिरडर	बसोली-बानी-भदरवाह	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
36	डिंग (डोगी)	0.6	30.2	मल्टी सेल बाक्स ब्रिज	सेरी-कलाल-रूमलीधारा	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
37	मितल गढ़	0.022	60	स्टील गिरडर ब्रिज	गलहर-संसारी	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
38	चल्ला नाला	7.6	30.2	मल्टी सेल बाक्स ब्रिज	दयालचक-रामकोट	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

39	पक्का कोठा	6	181.2	मल्टी सेल बाक्स ब्रिज	दयालचक-रामकोट	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
40	बेनादी	9.8	30.2	मल्टी सेल बाक्स ब्रिज	दयालचक-रामकोट	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
41	हीरा	5.073	21.18	मल्टी सेल बाक्स ब्रिज	कारगिल टाउन बाईपास (जेड-के-एल) रोड	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
42	संजय (लांगरु)	329	35	पीएससी बाक्स गिरडर	जोजिला-कारगिल-लेह	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
43	श्योक सेतू (श्योक गंग II)	23.12	120	स्टील ट्रस सुपरस्ट्रक्चर (थ्रू टाइप)	डरबुक-शियोक-डीबीओ	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
44	42.65 किमी	42.65	67.06	टीडीआर ईडब्ल्यूबीबी	फोबरंग-मारसिमिक ला-हाटस्प्रिंग	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
45	लुंगनैक	152.607	85	स्टील सुपरस्ट्रक्चर (थ्रू टाइप)	निमू-पादुम-दर्चा	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
46	122.389 किमी.	122.389	8	आरसीसी स्लैब	निमू-पादुम-दर्चा	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
47	116.209 किमी.	16.209	12	आरसीसी स्लैब	निमू-पादुम-दर्चा	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
48	जंस्कार	8.65	30	स्टील सुपरस्ट्रक्चर (थ्रू टाइप)	निमू-पादुम-दर्चा	हिमाचल प्रदेश
49	कनम खुद	401.3	50	पीएससी बाक्स गिरडर	हिन्दुस्तान-तिब्बत	हिमाचल प्रदेश
50	खुर्दागपो	470.15	55	पीएससी बाक्स गिरडर	पुह-कौरिक	हिमाचल प्रदेश
51	जुंटीगाड	1.675	50	पीएससी बाक्स गिरडर	तवाघाट-घटिबागड़	उत्तराखंड
52	लोलटी	104	35	पीएससी बाक्स गिरडर	सिमली-ग्लावडम	उत्तराखंड
53	कुसेरी	111.90	40	पीएससी	सिमली-ग्लावडम	उत्तराखंड

		3		बाक्स गिरडर		
54	कुलसारी	116.2	50	पीएससी बाक्स गिरडर	सिमली-ग्लावडम	उत्तराखंड
55	पगल नाला	10.9	65	स्टील सुपरस्ट्रक्चर (थ्रू टाइप)	भैरोंग घाटी-नेलांग	उत्तराखंड
56	डेट खोला	2.57	85	स्टील सुपरस्ट्रक्चर (डेक टाइप)	डिक्चू-सैंकलैंग	सिक्किम
57	तरयंग चु खोला	5.25	90	स्टील सुपरस्ट्रक्चर (डेक टाइप)	डिक्चू-सैंकलैंग	सिक्किम
58	यंगडी	7.76	16	आरसीसी टी-बीम	कालेप-जियागैंग	सिक्किम
59	जो	9.8	40	पीएससी बाक्स गिरडर	तालिहा-नाचो	अरुणाचल प्रदेश
60	सिगौंग	10.05	60	स्टील सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज (डेक टाइप)	मिजिंग-ट्यूटिंग	अरुणाचल प्रदेश
61	तिबंग	14.025	50	पीएससी बाक्स गिरडर	मिजिंग-ट्यूटिंग	अरुणाचल प्रदेश
62	चतारी	14.41	30	पीएससी बाक्स गिरडर	ट्यूटिंग-बोना	अरुणाचल प्रदेश
63	लाई	27.35	30	पीएससी बाक्स गिरडर	एलांग-यिंगक्यांग	अरुणाचल प्रदेश
64	केबू-कोरैंग	36.95	50	पीएससी बाक्स गिरडर	आलो-काइंग	अरुणाचल प्रदेश
65	सड़क अयंग	14.93	35	पीएससी बाक्स गिरडर	टैटो-मेनचुखा	अरुणाचल प्रदेश
66	सिलीगोमैंग	43.57	45	पीएससी बाक्स गिरडर	टैटो-मेनचुखा	अरुणाचल प्रदेश
67	छेपू	3.72	40	पीएससी बाक्स गिरडर	लोहितपुर-शिवाजीनगर	अरुणाचल प्रदेश
68	कुर्चू	10.785	45	पीएससी बाक्स गिरडर	मेसाइ-डिचू	अरुणाचल प्रदेश

69	यशोंग-II	23.6	35	पीएससी बाक्स गिरडर	चांगविनती-वैलांग-नमती	अरुणाचल प्रदेश
70	मकरीपानी	7.75	50	पीएससी बाक्स गिरडर	इटालिंग-मालिनये	अरुणाचल प्रदेश
71	फोरंग	153.45	45	पीएससी बाक्स गिरडर	ओरैंग-कलकटैंग-शेरगांव-रूपा-टेंगा	अरुणाचल प्रदेश
72	गच्चम	158.38	160.5	पीएससी बाक्स गिरडर	ओरैंग-कलकटैंग-शेरगांव-रूपा-टेंगा	अरुणाचल प्रदेश

3. हेलीपैड				
क्र.सं.	**हेलीपैड का नाम**	**आकार**	**राज्य**	**सड़क का नाम**
73	हानले	150 मी x 35 मी	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	हानले-फोटाइल
74	थाकुंग	150 मी x 35 मी	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	माहे-चुसुल
घ. कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट				
क्र.सं.	**हैबिटेट का नाम**	**आकार**	**निर्माण का प्रकार**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**
75	हानले	9528 वर्ग फीट	प्री-फैब्रिकेटेड	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी व अन्य** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा सभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीएस